



प्रेस नोट

थाना सिंघावली अहीर

दिनांक 05.01.2023

आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित आरोपी प्रमोद को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 06 माह का कारावास व 500 रुपये अर्थदण्ड की सजा ।

कार्यवाही –

अवगत कराना है कि वर्ष-2012 में थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान अभियुक्त प्रमोद पुत्र मूलचन्द निवासी किनौनी थाना सरुरपुर जनपद मेरठ को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया था । जिसके सम्बन्ध में थाना सिंघावली अहीर पर मु0अ0सं0- 490/2012 धारा 25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत हुआ था । इस अभियोग में मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई । जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 05.01.2023 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज कोर्ट नं0 04 जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त प्रमोद को दोषी पाते हुए धारा 25 आर्म्स एक्ट में 06 माह का कारावास व 500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।

दोषसिद्ध अपराधी का नाम व पता-

1- प्रमोद पुत्र मूलचन्द निवासी किनौनी थाना सरुरपुर जनपद मेरठ ।



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 05.1.2023

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 04/2023 धारा 377/506/342 भादवि व 3/4(2) पोक्सो एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 04/2023 धारा 377/506/342 भादवि व 3/4(2) पोक्सो एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सुहैल पुत्र दिलशाद निवासी मौ0 केतीपुरा कस्बा बागपत थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-श्री संजय कुमार थानाध्यक्ष थाना कोतवाली बागपत ।
- 2-है0का0 478 मनोज कुमार थाना कोतवाली बागपत ।
- 3-का0 60 सन्दीप कुमार थाना कोतवाली बागपत ।
- 4-का0 025 राजीव कुमार थाना कोतवाली बागपत ।



प्रेस नोट
थाना बडौत

दिनांक 05.01.2023

थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 722/22 धारा 363/366/376 भादवि व 3/4 पोक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 722/22 धारा 363/366/376 भादवि व 3/4 पोक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



नोट- उपरोक्त अभियोग से सम्बन्धित अपहृता को दिनांक 23.09.2022 को सकुशल बरामद किया जा चुका है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

पारस पुत्र प्रेमपाल निवासी कमला नगर कस्बा बडौत थाना बडौत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री रविन्द्र सैनी थाना बडौत ।
- 2-1115 राहुल तिवारी थाना बडौत ।
- 3-738 बालकिशन थाना बडौत ।

